

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
11/04/19	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री बिक्रम पाड़ेया, पिता स्व0 जोकलो सोंगा पाड़ेया, ग्राम तमाडबौंध, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाडबौंध, थाना नं0-125, के अन्दर खाता नं0- 57, प्लॉट नं0- 668, रकबा- 0.05 एकड़ भूमि क्रेता-श्री राजेश कुमार तामसोय, पिता-सुरेन्द्र तामसोय, ग्राम-बरकुण्डिया, थाना- मुफसिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-157 दिनांक- 21.02.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता-श्री राजेश कुमार तामसोय, पिता-सुरेन्द्र तामसोय, ग्राम-बरकुण्डिया, थाना- मुफसिल के पास 1,88,000.00/- (एक लाख अठसी हजार) रुपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्री बिक्रम पाड़ेया, पिता स्व0 जोकलो सोंगा पाड़ेया, ग्राम तमाडबौंध थाना- मुफसिल, क्रेता श्री राजेश कुमार तामसोय, पिता-सुरेन्द्र तामसोय, ग्राम-बरकुण्डिया थाना- मुफसिल के पास जमीन को कुल 1,88,000.00/- (एक लाख अठसी हजार) रुपये में मौजा-तमाडबौंध, थाना नं0-125, के अन्दर खाता नं0- 57, प्लॉट नं0- 668, रकबा- 0.05 एकड़, जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	